



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936

No. 534]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 727(अ).—केंद्र सरकार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाए।
(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगे।
2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2008 में -
(क) नियम 3 के उप-नियम (1) में—
(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ख) स्वास्थ्य संबंधी विशेष चेतावनी पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम पच्चासी प्रतिशत (85%) क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें साठ प्रतिशत (60%) क्षेत्र में चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी और पच्चीस प्रतिशत (25%) क्षेत्र में शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी और उसे पैकेज के ऊपरी हिस्से में दिखाया जाएगा तथा उसी दिशा में रखा जाएगा जिस दिशा में मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र पर सूचना दी गई हो:

परंतु शंक्वाकार पैकेज के लिए, पैकेज का जो हिस्सा सबसे चौड़ा होगा, उसे ही पैकेज का ऊपरी हिस्सा माना जाएगा:

परंतु यह और कि बाक्स, कार्टन और पाउच वाले पैकेज पर विशेष स्वास्थ्य चेतावनी पैकेज के सबसे बड़े भाग पर दोनों तरफ प्रदर्शित की जाएगी और बेलनाकार तथा शंक्वाकार पैकेज के लिए विशेष स्वास्थ्य चेतावनी, दो बड़े भागों पर एक दूसरे के सामने व्यासीय रूप से या पैकेज के अग्र भाग पर प्रदर्शित की जाएगी और विशेष स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक भाग या पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के अग्र भाग के पच्चासी प्रतिशत (85%) क्षेत्र को कवर करेगी जिसमें साठ प्रतिशत (60%) क्षेत्र में चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी और पच्चीस प्रतिशत (25%) क्षेत्र में शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी।”;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(घ) कोई भी संदेश, बिम्ब या चित्र जिससे किसी विशेष तम्बाकू ब्रांड के सेवन या उपभोग अथवा सामान्य रूप से तम्बाकू के सेवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा मिले या कोई भी विषय या विवरण जो विशेष स्वास्थ्य चेतावनी के अनुरूप न हो या उसके महत्व को कम करता हो, तम्बाकू उत्पाद के पैकेज पर नहीं लिखा जाएगा।”;

(iii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:

“(च) शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी, पैकेज पर प्रयोग की गई भाषा में ही लिखी जाएगी:

बशर्ते कि जहाँ पैकेज या उसके लेबल पर प्रयोग की गई भाषा निम्न प्रकार हो -

- (क) अंग्रेजी, स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी में व्यक्त की जाएगी;
- (ख) अंग्रेजी और भारतीय भाषा, स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी और किसी एक भारतीय भाषा में व्यक्त की जाएगी जिसमें ब्रांड का नाम लिखा हो;
- (ग) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा, स्वास्थ्य चेतावनी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा में व्यक्त की जाएगी जिसमें ब्रांड का नाम लिखा हो;
- (घ) कोई भी भारतीय भाषा स्वास्थ्य चेतावनी ऐसी भारतीय भाषा में व्यक्त की जाएगी;
- (ङ) भारतीय भाषा, स्वास्थ्य चेतावनी किन्हीं दो भारतीय भाषाओं में व्यक्त की जाएगी जिसमें ब्रांड का नाम लिखा हो;
- (च) विदेशी भाषा, स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी भाषा में व्यक्त की जाएगी;
- (छ) विदेशी और भारतीय भाषा, स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी और किसी एक भारतीय भाषा में व्यक्त की जाएगी जिसमें ब्रांड का नाम लिखा हो;

बशर्ते आगे कि पैकेज पर प्रयुक्त होने वाली दो से अधिक भाषाओं में लिखित स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लेख नहीं किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि एक भाषा में लिखित स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के एक ओर तथा दूसरी भाषा में लिखित स्वास्थ्य चेतावनी पैकेज के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के दूसरी ओर प्रदर्शित की जाएगी।” ;

iv. खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(ज) सिगरेट के प्रत्येक पैकेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद पर निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) उत्पाद का नाम;
- (ख) विनिर्माता या आयातक या पैक करने वाले का नाम व पता;
- (ग) उत्पाद का मूल स्थान (आयातित हेतु) ;
- (घ) उत्पाद की मात्रा;
- (ङ) विनिर्माण की तारीख; और
- (च) अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आपेक्षित कोई अन्य मामला”;

(ख) नियम पांच हेतु निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“5. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का चक्रानुक्रमण – (1) तंबाकू उत्पाद पैकेज पर निविर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का इन नियमों के लागू होने की तारीख से प्रत्येक 24 माह या चक्रानुक्रम की अवधि के पूर्व चक्रानुक्रम किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) चक्रानुक्रम अवधि के दौरान तंबाकू उत्पादों के धूम्रपान वाले और धुआंरहित दोनों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के दो चित्र होंगे और प्रत्येक विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बारह माह की अंतर्काल अवधि के लिए पैकेज पर यथाक्रम दर्शाई जाएगी।

(3) बारह माह की अवधि के समाप्त होने पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के पहले चित्र (चित्र 1) के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का दूसरा चित्र (चित्र-2) प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) चक्रानुक्रम अवधि के प्रत्येक बारह महीनों के अंत में केन्द्रीय सरकार सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटरों, खुदरा व्यापारियों और आयातकों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर छूट अवधि की अनुमति दे सकती है जो बारह महीने की चक्रानुक्रम अवधि की समाप्ति अवधि के लिए विनिर्दिष्ट चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों के पैकेज के पुराने स्टॉक का निपटान करने के लिए दो माह से अधिक नहीं होगी।

(5) सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूटर, खुदरा व्यापारी और आयातक दो माह की छूट अवधि के बाद बारह महीनों की समाप्त अवधि के विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी वाले किसी पैकेज का वितरण या विक्रय नहीं करेगा।

(ग) अनुसूची में, —

(i) पैराग्राफ 1 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् —

1. **“विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के घटक:-** विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी घटकों में निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात् :-

- (i) **शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी:-** धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों के लिए **“चेतावनी”** शब्द लाल पृष्ठ भूमि पर सफेद रंग के अक्षर से प्रकाशित होगा तथा **“धूम्रपान से गले का कैंसर होता है”** शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर से प्रकाशित होंगे। धुआंरहित तंबाकू उत्पादों के लिए **“चेतावनी”** शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर से प्रकाशित होगा तथा **“तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है”** शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर से प्रकाशित होंगे। पैकेट के मुख्य प्रदर्शित (डिस्प्ले) स्थान का पच्चीस (25) प्रतिशत भाग शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी से ढका होगा। शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी की पृष्ठभूमि में रंग की मात्रा इस प्रकार होगी: सफेद: सी:0%, एम:0%, वाई:0%, के:0%, लाल: सी:0%, एम:100%, वाई:100%, के:0% और काला: सी:0%, एम:0%, वाई:0%, के:100%। शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनियां चार रंगों में मुद्रित की जाएंगी जिसमें मुद्रण विभेदन न्यूनतम 300 डी पी आई (डाट्स प्रति

इंच) होगा। स्वास्थ्य चेतावनी के अक्षर का प्रकार और रंग ठीक वैसा ही होगा जैसा इन नियमों के साथ कांपैक्ट डिस्क (सी डी) में दी गई साफ्ट कॉपी में दिया गया है अथवा वेब साइट www.mohfw.nic.in और www.ntcptobaccocontrolpsa.in पर अपलोड किया गया है।

(ii) **चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी:-** स्वास्थ्य पर तंबाकू सेवन से पड़ने वाले कुप्रभावों का एक चित्रात्मक प्रति रूप शाब्दिक स्वास्थ्य चेतावनी के ऊपर लगाया जाएगा जो पैकेट के मुख्य प्रदर्शन (डिस्प्ले) स्थान का साठ (60) प्रतिशत कवर करेगा। इसे चार रंगों से मुद्रित किया जाएगा जिसका मुद्रण विभेदन न्यूनतम 300 डी पी आई (डाट्स प्रति इंच) होगा। चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी रंग और विभेदन में बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी इन नियमों के साथ संलग्न सीडी में दी गई साफ्ट प्रति में हैं या www.mohfw.nic.in तथा www.ntcptobaccocontrolpsa.in वेबसाइटों में अपलोड की गई है।”

(ii) पैराग्राफ 2 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“2. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां निम्नलिखित होंगी—

(क) तम्बाकू उत्पादों के धूम्रपान रूपों वाले पैकेजों के लिए – चित्र (1), इन नियमों में सम्मिलित विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी इसके आरंभ होने से बारह माह की अवधि के लिए वैध रहेगी।

चित्र – 1




(ख) तम्बाकू उत्पादों के धूम्रपान रूपों वाले पैकेजों के लिए - चित्र (2) इन नियमों में सम्मिलित विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी चित्र (1) की विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की आरंभ होने की तिथि से बारह माह समाप्त होने पर प्रभावी होगी।

चित्र – 2



(ग) धुआंरहित तंबाकू उत्पादों वाले पैकेजों के लिए -चित्र (1), इन नियमों में सम्मिलित विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी इसके आरंभ होने से बारह माह की अवधि के लिए वैध रहेगी

चित्र-1



(घ) धुआंरहित तंबाकू उत्पादों वाले पैकेजों के लिए - चित्र (2), इन नियमों में शामिल विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी चित्र (1) की विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के आरंभ होने की तिथि से बारह माह समाप्त होने पर प्रभावी होगी।

चित्र-2



नोट – इन नियमों के साथ एक सीडी होगी जिसमें इन विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों की इन सॉफ्ट कॉपियों को तम्बाकू उत्पाद पैकेज के मुद्रण में शामिल करने के लिए www.mohfw.nic.in तथा www.ntcptobaccocontrolpsa.in पर भी अपलोड किया जाएगा।

(iii) पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ लिया जाएगा-

“3. विशेष स्वास्थ्य चेतावनी का आकार - (1) तम्बाकू पैकेज के प्रत्येक पैनल पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का आकार 3.5 से.मी. X 4 से.मी. (ऊंचाई) से कम नहीं होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चेतावनी सुपाठ्य, स्पष्ट और संक्षिप्त है।

(2). विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सभी घटकों का आकार पैकेट के बड़े हुए आकार के अनुपात के अनुसार बढ़ाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के पचासी प्रतिशत (85%) स्थान को कवर करें। इसमें से साठ प्रतिशत(60%) चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का होगा और पच्चीस प्रतिशत (25%) पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी का होगा।

(iv) पैराग्राफ 4 को निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“4. भाषा:- प्रत्येक स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी, हिंदी तथा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में होगी। उपयुक्त भाषा संयोजन का चयन सीडी में निर्दिष्ट संयोजन में से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य चेतावनी के लिए चयनित भाषा निर्माता या आयातक या पैकर द्वारा पैकेट पर प्रयुक्त भाषा के अनुरूप है।”

[फा.सं. पी 16011/05/2012-पीएच-1]

अंशु प्रकाश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियमों को 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182(अ) के तहत प्रकाशित किया था। तत्पश्चात् इनमें दिनांक 29 सितंबर, 2008 के सा.का.नि. 693(अ) तथा दिनांक 28 नवंबर, 2008 के सा.का.नि. 2814(अ) तथा दिनांक 03 मार्च, 2009 के सा.का.नि. 305(अ) तथा दिनांक 05 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 176(अ) तथा दिनांक 17 मई, 2010 के सा.का.नि. 411(अ) तथा 20 दिसंबर, 2010 के सा.का.नि. 985(अ) तथा दिनांक 27 मई, 2011 के सा.का.नि. 417(अ) तथा दिनांक 26 जुलाई, 2011 के सा.का.नि. 570(अ) और 27 सितंबर, 2012 के सा.का.नि. 724(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

G.S.R. 727(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7, Section 8, sub-section (2) of Section 9, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2015.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008,—

(a) in rule 3, in sub-rule (1), —

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) the specified health warning shall cover at least eighty-five per cent. (85%) of the principal display area of the package of which sixty per cent. (60%) shall cover pictorial health warning and twenty-five per cent. (25%) shall cover textual health warning and shall be positioned on the top edge of the package and in the same direction as the information on the principal display area:

Provided that for conical package, the widest end of the package shall be considered as the top edge of the package:

Provided further that on box, carton and pouch type of package, the specified health warning shall appear on both sides of the package, on the largest panels and for cylindrical and conical type of package, the specified health warning shall appear diametrically opposite to each other on two largest sides or faces of the package and the specified health warning shall cover eighty-five per cent. (85%) of each side or face of the principal display area of the package of which sixty per cent. (60%) shall cover pictorial health warning and twenty-five per cent. (25%) shall cover textual health warning.”;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) no messages, images or pictures that directly or indirectly promote the use or consumption of a specific tobacco brand or tobacco usage in general or any matter or statement which is inconsistent with, or detracts from, the specified health warning are inscribed on the tobacco product package.”;

(iii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

“(f) the textual health warning shall be inscribed in the language used on the package:

Provided that where the language used on a package or on its label is—

- (a) English, the health warning shall be expressed in English;
- (b) English and Indian languages, the health warning shall be expressed in English and any one of the Indian languages in which the brand name appears;
- (c) Hindi and other Indian languages, the health warning shall be expressed in Hindi and any one of the Indian language in which the brand name appears;
- (d) any Indian language, the health warning shall be expressed in such Indian language;
- (e) Indian languages, the health warning shall be expressed in any two Indian languages in which the brand name appears;
- (f) foreign language, the health warning shall be expressed in English;
- (g) foreign and Indian languages, the health warning shall be expressed in English and any one of the Indian languages in which the brand name appears:

Provided further that the textual health warning shall appear in not more than two languages used on the package:

Provided also that the textual health warning in one language shall be displayed on one side or face of principal display area and the textual health warning in the other language shall be displayed on the other side or face of principal display area of the package.”;

(iv) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: —

“(h) every package of cigarette or any other tobacco product shall contain the following particulars, namely:—

- (a) Name of the product;
- (b) Name and address of the manufacturer or importer or packer;
- (c) Origin of the product (for import);
- (d) Quantity of the product;
- (e) Date of manufacture; and
- (f) Any other matter as may be required by the Central Government in accordance with the international practice.”;

(b) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

“5. Rotation of specified health warning.—(1) The specified health warning on tobacco product package shall be rotated every twenty-four months from the date of commencement of these rules or before the period of rotation as may be specified by the Central Government by notification.

(2) During the rotation period, there shall be two images of specified health warning for both smoking and smokeless form of tobacco products and each of the images of the specified health warning shall appear consecutively on the package with an interregnum period of twelve months.

(3) At the end of the twelve months period, the first image (image 1) of specified health warning shall be replaced with the second image (image 2) of specified health warning, which shall appear for the next twelve months.

(4) At the end of each twelve months of the rotation period, the Central Government may allow the distributors, retailers and importers of cigarettes and other tobacco products a grace period, not exceeding two months to clear the old stock of package of tobacco products bearing the warning specified for the expired period of twelve months of the rotation period.

(5) The distributors, retailers and importers of cigarettes and other tobacco products shall not distribute or sell any package having the specified health warning of the expired period of twelve months after the grace period of two months.”;

(c) In the Schedule,—

(i) for the paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“1. Components of specified health warning.—The components for the specified health warning shall include the following, namely:—

(i) Textual Health Warning.—For smoking forms of tobacco products, the word “WARNING” shall appear in white font colour on a red background and the words “Smoking causes throat cancer” shall appear in white font colour on a black background. For smokeless forms of tobacco products, the word “WARNING “ shall appear in white font colour on a red background and the words “Tobacco causes mouth cancer” shall appear in white font colour on a black background. The textual health warning shall cover twenty-five per cent. (25%) of the principal display area of the package. The intensity of color in the background of the textual health warning shall be: White: C:0%, M:0%, Y:0% K:0%, Red: C:0%, M:100%, Y:100% K: 0% and Black: C:0%, M:0%, Y:0% K: 100%. The textual health warnings shall be printed with four colors with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The font type and colour of the health warning shall be exactly as in the soft copy provided in the Compact Disk (CD) accompanying these rules or as uploaded on the web sites www.mohfw.nic.in and www.ntcptobaccocontrolpsa.in.

(ii) Pictorial Health Warning.—A pictorial representation of the ill effects of tobacco use on health shall be placed above the textual health warning, covering sixty per cent. (60%) of the principal display area of the package. It shall be printed with four colors with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The pictorial health warning should appear in the same colour and resolution exactly as in the soft copy provided in the CD accompanying these rules or as uploaded on the web sites www.mohfw.nic.in and www.ntcptobaccocontrolpsa.in”;

(ii) for the paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“2. The specified health warnings shall be—

(a) For packages containing smoking forms of tobacco products-Image (1), the specified health warning contained in these rules shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

Image- 1



(b) For packages containing smoking forms of tobacco products - Image (2), the specified health warning contained in these rules shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of image (1).

Image- 2



(c) For packages containing smokeless forms of tobacco products —Image (1), the specified health warning contained in these rules shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

Image-1



(d) For packages containing smokeless forms of tobacco products—Image (2), the specified health warning contained in these rules shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of image (1).

Image-2



Note. - These rules shall be accompanied by a (CD) that contains a soft copy of these specified health warnings, the soft copies of these specified health warnings shall also be uploaded on the websites www.mohfw.nic.in and www.ntcptobaccocontrolpsa.in, for inclusion in printing of tobacco product package.”;

(iii) for the paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“3. Size of the specified health warning. – (1) The size of the specified health warning on each panel of the tobacco package shall not be less than 3.5 cm (width) × 4 cm (height), so as to ensure that the warning is legible, prominent and conspicuous.

(2) The size of all components of the specified health warning shall be increased proportionally according to increase of the package size to ensure that the specified health warning covers eighty-five per cent (85%) of the principal display area of the package of which sixty per cent (60%) shall cover pictorial health warning and twenty-five per cent (25%) shall cover textual health warning.”;

(iv) for the paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“4. Language.- Each health warning shall be specified in English, Hindi and any other regional languages. Appropriate language combination shall be selected from the combination provided in the (CD) to ensure that the language selected for health warning is in conformity with the language used on the package by the manufacturer or importer or packer.”.

[F. No. P-16011/05/2012-PH-I]

ANSHU PRAKASH, Jt. Secy.

Note.- The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 182 (E), dated the 15th March, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 693(E), dated the 29th September, 2008, *vide* number S.O. 2814(E), dated the 28th November, 2008, *vide* number G.S.R. 305(E), dated the 3rd March, 2009, *vide* number G.S.R. 176(E), dated the 5th March, 2010, *vide* number G.S.R. 411(E), dated the 17th May, 2010, *vide* number G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 2010, *vide* number G.S.R. 417(E), dated the 27th May, 2011, *vide* number G.S.R. 570 (E), dated the 26th July, 2011 and *vide* number G.S.R. 724(E), dated the 27th September, 2012.